

NBA REQUESTS EXCLUSION FROM NEW RULES

The News Broadcasters Association (NBA) has written to I&B Minister Prakash Javadekar, requesting for the exclusion of digital news platforms owned and run by traditional news media from the purview of the provisions of the new IT Rules, 2021.

“NBA requests that a specific and express exclusion should be carved out in the definitions of ‘digital news media’ and /or ‘publishers of news and current affairs content’ so as to exclude the applicability of the provisions of the IT Rules, 2021 to the digital news platforms that are owned and run by traditional news media,” the letter sent by NBA President Rajat Sharma read.

The electronic news media is no different from print media and majority of content hosted on their digital platforms is nothing but a replica of content that is already a part of the broadcast and has also passed the litmus test of being compliant to the various applicable regulations. In this context, NBA argued that the digital news media owned and operated and directly run by traditional news media ought not to be brought under the ambit and purview of the IT Rules, 2021.

Highlighting the operational issues in implementing new rules, NBA said, “The IT Rules 2021, if applied to the digital media of the linear television medium, would only result in duplication of the adjudicatory and redressal mechanism, resulting in the creation of parallel adjudicatory bodies. The IT Rules, 2021, prescribe administrative regulations, which will make it virtually impossible for small or medium-sized traditional news media organisations to survive. Any additional mandates as contemplated under the IT Rules, 2021 would result in increasing the employee costs and compliance requirements of the traditional news media organisations, along with duplication and creation of parallel processes. The media organisations would have to devote significant resources and time in resolving each complaint and in defending itself before multiple forums.” ■

एनबीए ने नये नियमों से निषेध का अनुरोध किया

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर पारंपरिक समाचार मीडिया के स्वामित्व वाले और चलाये जा रहे डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को नये आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है।

एनबीए अध्यक्ष रजत शर्मा द्वारा भेजे गये पत्र में कहा गया है कि ‘एनबीए अनुरोध करता है कि डिजिटल समाचार मीडिया और/या समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशक की परिभाषा में एक विशिष्ट और स्पष्ट बहिष्कार तैयार किया जाना चाहिए, ताकि आईटी नियम 2021 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर रखा जा सके। डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म जो पारंपरिक समाचार मीडिया के स्वामित्व और संचालित होते हैं।’

इलेक्ट्रॉनिक समाचार मीडिया प्रिंट मीडिया से अलग नहीं है और उनके

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गयी अधिकांश सामग्री की प्रतिकृति के अलावा और कुछ नहीं है जो पहले से ही प्रसारण का हिस्सा है और विभिन्न लागू नियमों के अनुरूप होने के लिटमस टेस्ट को भी पास कर चुकी है। इस संदर्भ में एनबीए ने तर्क दिया कि पारंपरिक समाचार मीडिया के स्वामित्व और संचालन और सीधे संचालित डिजिटल समाचार मीडिया को आईटी नियम 2021 के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए।

नये नियमों को लागू करने में परिचालन संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए एनबीए ने कहा, आईटी नियम 2021 यदि लिनियर टेलीविजन माध्यम के डिजिटल मीडिया पर लागू होते हैं तो इसका परिणाम केवल न्यायिक और निवारण तंत्र का दोहराव होगा जिसके परिणामस्वरूप समानांतर न्यायिक निकायों का निर्माण होगा। आईटी नियम 2021 प्रशासनिक नियमों को निर्धारित करता है जो छोटे या मध्यम आकार के पारंपरिक समाचार मीडिया संगठनों के जीवित रहने के लिए लगभग असंभव बना देगा। आईटी नियम 2021 के तहत विचार किये गये किसी भी अतिरिक्त जनादेश के परिणामस्वरूप पारंपरिक समाचार मीडिया संगठनों की कर्मचारी लागत और अनुपालन की आवश्यकताओं में वृद्धि होगी, साथ ही दोहराव और समानांतर प्रक्रियाओं का निर्माण होगा। मीडिया संगठनों को प्रत्येक शिकायत को हल करने और कई प्लेटफॉर्मों के सामने अपना बचाव करने में महत्वपूर्ण संसाधन और समय देना होगा। ■

NewsBroadcastersAssociation

